

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2026 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त-समिति की बैठक आज दिनांक 29 सितम्बर, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहे:-

1. प्रो० जय प्रकाश सैनी	कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ०प्र० शासन।	सदस्य
3. डॉ० अश्विनी कुमार मिश्रा	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन	सदस्य
4. डॉ० भावना मिश्रा	कुलसचिव	सदस्य
5. श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6. श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सदस्यसचिव

बिन्दु सं०-01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 29 जून, 2026 की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, समिति द्वारा गत बैठक के समस्त बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या को अवलोकित किया गया एवं चर्चा के उपरान्त प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-02

प्रो० गौरी सकसेना, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित स्ववित्तपोषित परास्नातक पाठ्यक्रम एम.एससी वनस्पति विज्ञान, एम.एससी. माइक्रोबायोलॉजी एवं एम.एससी. पर्यावरण विज्ञान के छात्रों के शैक्षिक भ्रमण हेतु अनुपूरक बजट की स्वीकृति किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत् है:-

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में शैक्षिक भ्रमण मद में स्वीकृति बजट	वित्तीय वर्ष 2026-27 में शैक्षिक भ्रमण हेतु प्रस्तावित संशोधित बजट
1	एम.एससी वनस्पति विज्ञान (स्ववित्तपोषित)	शैक्षिक भ्रमण	50,000/-
2	एम.एससी माइक्रोबायोलॉजी (स्ववित्तपोषित)	शैक्षिक भ्रमण	50,000/-
3	एम.एससी पर्यावरण विज्ञान (स्ववित्तपोषित)	शैक्षिक भ्रमण	50,000/-

समिति द्वारा वनस्पति विज्ञान विभाग में संचालित उपरोक्त क्रम सं०-1 से 03 के शैक्षिक भ्रमण मद के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत बजट की सीमा को संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु सं०-03

वरिष्ठ आचार्य (Senior Professor) अकादमिक स्तर-14 से अकादमिक स्तर-15 पद पर प्रोन्नति हेतु उनके शोध प्रकाशन के मूल्यांकन के लिए नामित चयन समिति के विषय विशेषज्ञ (Experts) को मानदेय/पारिश्रमिक (Remuneration) से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति के द्वारा 10 शोध प्रकाशनों का मूल्यांकन कराये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों को मानदेय/पारिश्रमिक के रूप में न्यूनतम रु० 2000/- तथा अधिकतम रु० 10,000/- तक के मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-04

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में चल रहे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की तरह पूर्ववत सामान्य निधि से विषय विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान की दरों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु प्राप्त प्रस्ताव जो निम्नवत् है:-

Details	Programme	Payment Per Hour	Maximum Limit
Subjects Expert/ Guest Faculty/ Visiting Faculty Subjects to Availability of Funds	PG & PG Diploma	Rs 800/-	Rs 30,000/-
	UG & UG Diploma	Rs 600/-	Rs 25,000/-
	Certificate Programme	Rs 400/-	Rs 20,000/-

उपरोक्त प्रस्ताव पूर्व में वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021 में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की अनुमोदित दरों के आधार पर ही पूर्ववत सामान्य निधि के विषय विशेषज्ञों को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या-5

मा० कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.07.2026 के विनिश्चय संख्या 2026/10/18 में विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम LL.B.(integrated) Five Year Course में सहायक आचार्य (संविदा) के 17 पदों के सृजन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के द्वारा इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया कि इस प्रकरण को वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया एवं मा० कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.07.2026 के विनिश्चय संख्या 2026/10/18 में विधि विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम LL.B. (Integrated) Five Year Course में सहायक आचार्य (संविदा) के 17 पदों के सृजन किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु सं०-06

प्र० जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को पूर्व संस्थान, बी०एस०एन०वी० पी०जी० कालेज, लखनऊ में C.A.S. के अन्तर्गत प्रोन्नत होकर प्रोफेसर के रूप में प्राप्त कर रहे मूल वेतन रु० 1,77,400/- को लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में

Q

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संरक्षित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति के द्वारा प्रो० पाण्डेय के वेतन संरक्षण विषयक शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के आदेश सं०-1/1397061/202670-4099/47/2026, दिनांक 15.07.2026 के क्रम में वेतन संरक्षण रु० 1,77,400/- पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-07

राजभवन के दिशा-निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक Diagnosis on wheels/ Mobile-PHC स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवायें GEM के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के द्वारा GEM के माध्यम से एक Diagnosis on wheels/ Mobile-PHC स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवायें 07 वर्ष के इस प्रतिबन्ध के साथ कि संतोषजनक सेवाओं पर वर्षानुवर्ष के आधार पर अनुमन्य का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-08

तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के नियत कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के नियत कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी के प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. वेतन वृद्धि से लाभान्वित नियत वेतन पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे पूर्व से किसी भी देयता की माँग नहीं करेंगे।
2. तृतीय श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के शैक्षिक, तकनीकी आर्हता में यदि टंकण अनिवार्य है तो ऐसी स्थिति में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही वेतन वृद्धि देय होगी अन्यथा की दशा में नई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

बिन्दु सं०-09

विभिन्न विभागों में चल रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की आय-व्यय के अनुसार विषय विशेषज्ञों का मानदेय यू.जी.सी. की गाईड लाइन के अनुसार "The Honorarium for Guest Faculty be enhanced to Rs 1500/- per lecture subject to a maximum of Rs 50,000/- per month." निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव विचार-विमर्श करते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या-10

विभिन्न संकायों/विभागों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को 3 प्रतिशत इन्क्रीमेंट दिये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव विचार-विमर्श हेतु किया गया।

समिति द्वारा विभिन्न संकायों/विभागों/स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को 3 प्रतिशत इन्क्रीमेंट दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मा० कुलपति महोदय के अनुमोदन से एक समिति का गठन कर सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की आय-व्यय की समीक्षा कर ली जाए एवं समिति की रिपोर्ट को वित्त समिति की अगली बैठक में रखे जाने हेतु संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या-11

विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रम खुलने से प्राप्त आय पर अपेक्षानुसार बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश के दृष्टिगत संतोष व्यक्त किया गया।

④

अन्य बिन्दु

बिन्दु सं0-01

परीक्षा नियंत्रक के पत्र जो उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र सं0-176/सत्तर-1-2019-15(32)/81, दिनांक 09 मार्च, 2019 के अनुसार केन्द्र व्यय के रूप में 15.00 प्रति छात्र दिये जाने की दर निर्धारित करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के आदेश सं0-176/सत्तर-1-2019-15(32)/81, दिनांक 09 मार्च, 2019 के अनुपालन में केन्द्र व्यय के रूप में रू0 15.00 प्रति छात्र दिये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-02

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2026 के अन्य बिन्दु सं0-3 जिसमें कोआर्डिनेसन टीम हेतु दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त समिति के समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति के द्वारा कोआर्डिनेसन टीम हेतु दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.09.2026 का कार्यवृत्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चर्चा के उपरान्त वित्त समिति के द्वारा कोआर्डिनेसन टीम को समिति की संस्तुति के आधार पर मानदेय दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु सं0-03

प्रो0 गौरी सक्सेना, निदेशक इन्टर्नशिप प्रोग्राम के द्वारा इन्टर्नशिप प्रोग्राम हेतु शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति के द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त इंटर्नशिप प्रोग्राम हेतु शुल्क निर्धारण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-04

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्नातक (आनर्स) कृषि पाठ्यक्रम हेतु विभिन्न मदों में अतिरिक्त बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव विचार-विमर्श हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार बजट संशोधित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

Head	Fund Allocated	Revised Expenditure for F.Y. 2026-27
Honorarium for Teaching	20,00,000/-	30,00,000/-
Travel Expenses	2,00,000/-	5,00,000/-
Contingency	5,00,000/-	8,00,000/-
Chemical & Glass ware	5,00,000/-	10,00,000/-

बिन्दु सं0-05

प्रो0 गौरी सक्सेना, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा विभाग में चल रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के आय-व्यय पर प्राप्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त वनस्पति विज्ञान विभाग में चल रहे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट पर अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्तीय

वर्ष 2027-28 का बजट विश्वविद्यालय के अन्य बजट के साथ वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु सं0-06

परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकोष्ठों के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मानदेय हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया एवं इस सम्बन्ध में वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किये जाने की संस्तुति की गयी जिसमें वित्त अधिकारी के अतिरिक्त कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक सदस्य होंगे। समिति अन्य विश्वविद्यालयों में इस सम्बन्ध में दिये जा रहे मानदेय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं0-07

विश्वविद्यालय के उपलब्ध वाहनों में से एक चौपहिया वाहन को अपर कुलानुशासक (द्वितीय परिसर) के कार्यालय से सम्बन्ध किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।

समिति द्वारा जेम के माध्यम से एक बोलेरो नियमानुसार क्रय किये जाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी।

समिति द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय में पूर्व में प्रति-कुलपति के प्रयोग हेतु उपलब्ध वाहन सियाज अपर कुलानुशासक, द्वितीय परिसर को उपलब्ध करा दिया जाए। वाहन के पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर होने वाला व्यय सामान्य निधि के अन्तर्गत वाहनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-08

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालयों से प्रति छात्र/छात्रा से लिये जाने वाले रेंजर/रोवर्स के शुल्क से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा डॉ० जय सिंह, सहायक निदेशक (उ० शि०) कृते शिक्षा निदेशक (उ० शि०) उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र सं०-डिग्री विकास/34031/2022-23, दिनांक 14.11.2022 में प्राप्त निर्देश निम्नवत् हैं:-

1. प्रत्येक महाविद्यालय को कम से कम एक रोवर्स/रेंजर्स 24-24 की संख्या में गठन के साथही पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करायी जाए।
2. प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स कोप का गठन सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से रू० 50.00 की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स/रेंजर्स के फण्ड में जमा की जाए।

उक्त फण्ड की धनराशि को उ०प्र० भारत स्काउट एवं गाइड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जिला संस्था भारत स्काउट एवं गाइड सम्बन्धित जनपद स्तर पर क्रमशः 15:20:50:15 के अनुपात में एकत्रित की जाए, जिससे सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें।

प्रत्येक छात्र/छात्राओं से वार्षिक रू० 50/- की दर से प्राप्त शुल्क को विभिन्न संस्थाओं में निम्न विवरणानुसार वितरित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुआ है:-

1. विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय स्तर 50 प्रतिशत (रू० 25/- प्रति छात्र/छात्रा)
2. विश्वविद्यालय जिला संस्था 20 प्रतिशत (रू० 10/- छात्र/छात्रा)

3. प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 30 प्रतिशत (रू0 15/- प्रति छात्र/छात्रा)

समिति के द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि के वितरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-09

प्रो0 ओ0पी0 शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग का कार्य परिषद की बैठक 27.07.2026 के विनिश्चय सं0-2026/10/06 में लिये गये निर्णयानुसार वेतन अनुमन्य किये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव वित्त समिति के विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक 27.07.2026 के विनिश्चय सं0-2026/10/06 में अभियांत्रिकी संकाय में सेवानिवृत्त शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष रू0 1,00,000/- प्रतिमाह पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए प्रो0 ओ0पी0 शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग को भी रू0 1,00,000/- प्रतिमाह पर नियुक्त किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।


(हिमांशु चौधरी)

वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव

अनुमोदित



(प्रो0 जय प्रकाश सैनी)

कुलपति/अध्यक्ष

FC-29092026